रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 1971/माघ 29, 1892
No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 1971/MAGHA 29, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1971

S.O. 909.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, in addition to the officers appointed by its notification No. 414/GJ/70, dated the 4th January, 1971, as subsequently amended, each officer specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer for the Parliamentary Constituency in the State of Gujarat specified in the corresponding entry in column 1 of that Table, in the performance of his functions :—

TABLE

Sl. No and name of constituency	Assistant Returning Officer
1	2
17. Kaira	(i) Special Land Acquisition Officer, Mani Kalana Command Area, Nadiad. (ii) Deputy District Development Officer (Panchayat) Kaira District, Nadiad.
18. Anand	(i) Prant Officer, Anand Sub-division, Anand. (ii) Deputy Collector for Tenancy Appeals, Kaira.

[No. 434/GJ/70.]

By Order,
ROSHAN LAL, Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 फरवरी, 1971

एस० ओ० 909.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 134/गुज०/70, तारीख 1 जनवरी, 1971 द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हर एक अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में, सहायता करने के लिए, नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रम संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
17. कैरा	1. विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, मही कडाना कमान्ड एरिया, नड़ियाड़ । 2. उपजिला विकास अधिकारी (पंचायत), जिला कैरा, नड़ियाड़ ।
18. आनन्द	1. प्रान्त अधिकारी, आनन्द उपखंड, आनन्द । 2. उप-कलैक्टर, अभिधृति अपील, कैरा ।

[सं० 414/गुज०/70]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

ED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971